भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3144

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2026

उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

3144. श्रीमती रुचि वीराः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी), जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेडईडी) प्रमाणन योजना, पीएम विश्वकर्मा, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) तथा अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त प्रत्येक योजना के अंतर्गत कितनी निधि जारी तथा व्यय की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की गई थी। दिनांक 31.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर 2.19 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 58,773 एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र में, 57,475 सेवा क्षेत्र में तथा 1,03,318 व्यापार क्षेत्र में कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) : सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) मांग-आधारित एक स्कीम है तथा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एमएसई-सीडीपी के तहत सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी)/अवसंरचना विकास (आईडी) परियोजना की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

एमएसएमई-सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) प्रमाणन स्कीम दिनांक 28.04.2022 को शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्कीम के तहत वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

स्कीम का नाम	वत्त वर्ष **2022-23**	वत्त वर्ष **2023-24**	वत्त वर्ष **2024-25**	वत्त वर्ष **2025-26**	वत्त वर्ष **2026-27** (दिनांक **02.08.2026** तक)
एमएसएमई के लिए जेड प्रमाणन स्कीम	2	215	231	4,695	2,398

स्कीम के दिशानिर्देशों में लागू प्रावधानों और दरों के अनुसार निधि का उपयोग किया जाता है।

दिनांक 17.09.2023 को पीएम विश्वकर्मा की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम की शुरुआत से लेकर दिनांक 03.08.2026 तक 18 व्यापारों के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पंजीकरण, प्रशिक्षण, संस्वीकृत ऋण राशि और संवितरित ऋण राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

स्कीम का नाम	पंजीकरण (संख्या)	आधारभूत प्रशिक्षण (संख्या)	संस्वीकृत ऋण राशि (रुपए)	संविरित ऋण राशि (रुपए)
पीएम विश्वकर्मा	2,830	2,367	1,18,58,000	86,53,750

एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) का कार्यान्वयन करता है, ताकि सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों के माध्यम से नए के साथ-साथ मौजूदा एमएसई को दिए गए ऋणों हेतु क्रेडिट गारंटी प्रदान की जा सके। विगत पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अनुमोदित गारंटियों की संख्या और अनुमोदित राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि (करोड़ रुपए में)
2021-22	1,734	90
2022-23	1,616	147
2023-24	2,822	329
2024-25	4,567	423
2025-26	7,621	641

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) केंद्रीय क्षेत्र की एक स्कीम है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में भावी उद्यमियों को सहायता प्रदान कर प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमईजीपी के तहत मुरादाबाद जिले में सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों और संविरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी की संख्या नीचे दी गई है:

वित्त वर्ष	सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी (करोड़ रुपए में)
2021-22	245	8.19
2022-23	104	4.09
2023-24	107	4.95
2024-25	55	2.02
2025-26	66	2.99
